

बिहार सरकार
वाणिज्य—कर विभाग

—: शुद्धि पत्र :—

पटना, दिनांक :—

पूर्व में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक 914 दिनांक 20.02.2025 में अंकित सारणी के कंडिका—1 में श्री किशोर कुमार सिन्हा, राज्य—कर विशेष आयुक्त के सामने आबंटित कार्य में अंकित “विभागीय सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में नोडल पदाधिकारी” के बदले **विभागीय सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी** पढ़ा जाय।

2. शेष आदेश यथावत रहेंगे।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / —

(ज्योति प्रकाश)

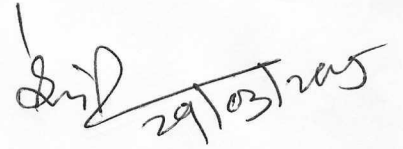
सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य—कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:— 6 / वि0पत्रा0 24—01 / 2024...**1532**...पटना, दिनांक :—**29/03/2025**

प्रतिलिपि:— अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / राज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव के आप्त सचिव / विभागीय आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य—कर विभाग एवं श्री किशोर कुमार सिन्हा, राज्य—कर विशेष आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य—कर विभाग,

(d) बिहार, पटना।